कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक / 3497 / न्या.लि. / कोरोना सेल / 2020 रायगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2020

प्रति,

तहसीलदार
रायगढ़ / पुसौर / खरसिया / सारंगढ़ / बरमकेला / घरघोड़ा / तमनार / लैलूंगा / धरमजयगढ़
जिला–रायगढ़ (छ0ग0)

विषयः– विवाह एवं अन्त्येष्ठि / अंतिम संस्कार कार्यक्रम हेतु अनुमति / पास जारी करने के संबंध में।

संदर्भः– कार्यालयीन आदेश क्रमांक / 3236 / कोरोना सेल / 2020 दिनांक 17.04.2020 एवं पत्र क्रमांक / 3453 / कोरोना सेल / 2020 दिनांक 27 / 04 / 2020

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि वैश्विक महामारी नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रसार के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं छ0ग0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के परिपत्र क्रमांक 189 / स.सा.प्र.वि. / 2020 दिनांक 16.04.2020 के द्वारा जारी दिशा–निर्देश / गाईडलाईन के कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने एवं कोरोना नियंत्रण के इन कंटेनमेंट उपायों को लागू करने के लिए आपको अपने अधिकारिता क्षेत्रांतर्गत इन्सीडेन्ट कमाण्डर नियुक्त किया गया है, किन्तु आपके द्वारा इसका कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है।

अतएव गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं छ0ग0 शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश / एडवायजरी का पालन करते हुए विवाह एवं अन्त्येष्ठि जैसे आयोजनों के लिए अनुमति / पास निम्न शर्तों के अधीन जारी करना सुनिश्चित करें:–

(1) विवाह हेतुः–

I. वर–वधु एवं पंडित को मिलाकर कुल 05 व्यक्तियों को ही सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
II. फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
III. किसी भी तरह का सार्वजनिक आयोजन मार्ग पर बारात निकालने एवं सार्वजनिक भवनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
IV. विवाह सिर्फ अपने निवास के प्रांगण में ही करने की अनुमति होगी।
V. एक चारपहिया वाहन में ड्राइवर सहित चार लागों को ही आवागमन की अनुमति होगी।
VI. ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
VII. यह अनुमति जिले भीतर के लिए ही प्रवृत्त होगी। जिले से बाहर जाने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है।
VIII. सामूहिक भोज पर प्रतिबंध रहेगा।
IX. कार्यक्रम स्थल में सम्मिलित सभी व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा एवं कार्यक्रम स्थल हाथ धोने की व्यवस्था के साथ–साथ सेनेटाईजर होना आवश्यक है।

X. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एवं छ0ग0 शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/एडवायजरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

(2) अन्त्येष्ठि हेतुः–

I. अन्त्येष्ठि/अंतिम संस्कार संबंधी आयोजन में 20 व्यक्तियों से अधिक एकत्रित होने की अनुमति नहीं होगी।
II. फिजीकल डिस्टेंसिंग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा।
III. स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान पर ही अंतिम संस्कार करना अनिवार्य होगा।
IV. यह अनुमति जिले के भीतर ही प्रवृत्त होंगे। जिले से बाहर जाने एवं आने की अनुमति का अधिकार जिला स्तर पर सुरक्षित रखा गया है।
V. सामूहिक भोज पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
VI. कार्यक्रम स्थल में सम्मिलित सभी व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य होगा एवं कार्यक्रम स्थल हाथ धोने की व्यवस्था के साथ–साथ सेनेटाईजर होना आवश्यक है।
VII. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एवं छ0ग0 शासन तथा जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देश/एडवायजरी का पालन करना अनिवार्य होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(यशवन्त कुमार)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़

पृ0क्रमांक/3497–ए/न्या.लि./कोरोना सेल/2020 रायगढ़, दिनांक 29 अप्रैल 2020

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
2. आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ0ग0)

—— की और सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3. पुलिस अधीक्षक, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़ (छ0ग0)
5. सर्व अपर कलेक्टर, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)
6. जिला परिवहन अधिकारी, जिला–रायगढ़ (छ0ग0)
7. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ0ग0)
8. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जिला–रायगढ़ (छ0ग0)
9. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत रायगढ़ (छ0ग0)

—— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

10. उप संचालक, जनसंपर्क विभाग रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला–रायगढ़

दिनांक 29/4/2020

लेखक, जिला कार्यालय रायगढ़